न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 21/2013

अपीलांट–

तेजाराम पुत्र प्रतापाराम के कायम मुकाम–

1. मानाराम पुत्र तेजाराम
2. दिनेश कुमार पुत्र तेजाराम
3. सुवटी पत्नी तेजाराम

जाति बिश्नोई निवासी जुगताणियों की ढाणी पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तुलछाराम पुत्र प्रतापाराम
2. हरलाल पुत्र प्रतापाराम
3. स्व0 करनाराम पुत्र प्रतापाराम के वारीसान–

3.1. जगदीश पुत्र करनाराम

3.2. हनुमानराम पुत्र करनाराम

3.3. प्रकाश पुत्र करनाराम

4. अमलूराम पुत्र चौथाराम
5. सोनाराम पुत्र चौथाराम
6. भगवानाराम पुत्र चौथाराम
7. मु. हीरों देवी पत्नी चौथाराम
8. धन्नीदेवी पत्नी राजूराम
9. माडू देवी पत्नी हीराराम
10. पोकरराम पुत्र भारताराम के कायम मुकाम–

10.1. हुकमाराम पुत्र पोकरराम

10.2. शंकराराम पुत्र पोकरराम

जाति बिश्नोई निवासी जुगताणियों की ढाणी, आलपुरा तहसील गुड़ामालानी

11. एलची पत्नी दीपाराम जाति बिश्नोई निवासी चौरा तहसील सांचौर जिला जालोर
12. हीराराम पुत्र नरींगाराम जाति बिश्नोई [illegible]सी जुगताणियों की ढाणी, आ[illegible] तहसील गुड़ामालानी
13. [illegible]क, एसबीबीजे शाखा [illegible]ड़ामालानी
14. तहसीलदार गुड़ामालानी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.09.2011 जो पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :-

1. श्री खेताराम सैन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री हेतुदान बिठु, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2, 4से9 व 12 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 3, 10, 11 व 13 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।
5. रेस्पोडेंट सं. 14 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 27.10.2020

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 15.09.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा जुगताणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 734, 749, 750, 750/1, 741, 732, 738, 805, 806, 809, 817 व 821 रकबा कुल 301-00 बीघा के रेकर्डेड खातेदारान अमलूराम व अन्य ने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2011 को बमुकाम दूधू तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी आलपुरा द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विव[illegible] किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। [illegible] हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार [illegible] प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल द[illegible]द किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 5155 दिनांक 15.09.2011 पारित किया गया। इस आदेश के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.08.2013 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश पारित करने मे भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। खसरा नम्बर 738 रकबा 34–13 बीघा जिसे पक्षकारान का संयुक्त खातेदारी का बताया गया हैं जबकि उक्त भूमि अपीलांट की स्वअर्जित हैं जिसे गजेसिंह पुत्र लाधूसिंह से दिनांक 23.02.1974 को खरीदा गया व उसका नामान्तरकरण सं. 561 स्वीकृत हुआ हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर 741 रकबा 17–11 बीघा रेस्पोडेंट सं. 4से7 की स्वअर्जित भूमि हैं। इस प्रकार उक्त स्वअर्जित भूमि को छोड़ते हुए अवशेष 248–16 बीघा भूमि ही संयुक्त पैतृक खातेदारी की थी जिसमें 1/3 हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1से3 का तथा शेष 2/3 हिस्सा रेस्पोडेंट सं. 4से12 का आता हैं। अपीलांट इसी माफिक नियमित रूप से अपने भाईयों के साथ 1/3 हिस्से में काश्त करता आ रहा हैं परन्तु इस वर्ष करीब बीस दिन पूर्व जब अपीलांट प्रतिवर्ष की भांति अपने कब्जे के भू–भाग को बुआई हेतु तैयार करने लगा तो रेस्पो. सं. 1से3 ने अपीलांट को मना किया तथा बताया कि इस संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन में अपीलांट को कोई रकबा नहीं दिया गया हैं तथा अपीलांट अपने खसरा नम्बर 738 में जाकर काश्त करें। इस पर अपीलाधीन विभाजन आदेश की नकल हेतु तहसील कार्यालय में दिनांक 10.07.2013 को आवेदन किया तथा 11.07.2013 को नकल प्राप्त की गई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के बारे में वास्तविक ज्ञान होने से यह अपील अंदर मयाद पेश की गई हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 15.09.2011 निरस्त कर अपीलांट का पैतृक खातेदारी में हिस्सा 1/12 विधि सम्मत विभाजित करने का आदेश रेस्पोडेंट सं. 14 को पारित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishu Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:23 IST
Reason: SelfAttested

5. रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा इकबालिया जवाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए नये सिरे से बंटवाड़ा का आदेश फरमाया जावें। रेस्पोडेंट सं. 2, 4से9 व

जिला कलक्टर
बाड़मेर

12 की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौरान सुनवाई प्रतिरक्षण में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि मौजा जुगताणियों की ढाणी पटवार मण्डल आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 734, 749, 750, 750/1, 741, 732, 738, 805, 806, 809, 817 व 821 रकबा कुल 301–00 बीघा के रेकर्डेड खातेदारान अमलूराम व अन्य ने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2011 को बमुकाम दूधू तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी द्वारा उक्त विभाजन प्रार्थना पत्र के तस्दीक स्वरूप टिप्पणी अंकित की गई हैं कि चौसाला जमाबन्दी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही हैं मौके पर सह खातेदारान विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा को तहसीलदार गुड़ामालानी ने आदेश दिनांक 15.09.2011 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस विभाजन इकरारनामा मे भूमि के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई हैं, क्योंकि खसरा नम्बर 738 खाता सं. 19 में अपीलांट तेजाराम वल्द प्रतापाराम के एकल खातेदार के रूप में दर्ज थी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 741 खाता सं. 12 में अमलूराम, सोनाराम, भगवानाराम पि0 चौथाराम, गैरों देवी, हीरों देवी पत्नियां चौथाराम के नाम दर्ज थी जिसमें शेष खातेदारान के नाम दर्ज ही नहीं थे। अपीलांट ने इस अपील के पद सं. 2 में इसी वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख किया हैं कि खसरा नम्बर 738 व 741 की भूमि पैतृक नहीं होकर स्वअर्जित भूमि हैं जिसे अपीलाधीन विभाजन इकरारनामा में गलत रूप से सम्मिलिति करके विभाजन स्वीकार किया गया हैं। हल्का पटवारी की ओर से मात्र चौसाला जमाबन्दी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार खसरा नम्बर 738 व 741 की [illegible] भूमि को भी सम्मिलित करते हुए खातेदारान के निष्[illegible] हिस्सा एवं किये गये विभाजन अनुसार यह भली–भांति साबित है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश वास्तविक हिस्से व कब्जे–काश्त अनुसार नही किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच स्वर्जित व पृथ्क स्वामित्व की भूमि गलत रूप से सम्मिलित करने भूमि कम-ज्यादा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा एवं रेकर्ड की सही जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 734, 749, 750, 750/1, 741, 732, 738, 805, 806, 809, 817 व 821 रकबा कुल 301-00 बीघा के रेकर्डेड खातेदारान अमलूराम व अन्य की खातेदारी भूमि के विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 5155 दिनांक 15.09.2011 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलेक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:23 IST
Reason: SelfAttested